

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

आज का दिन - जलार (राज.)

मुकाम

किस्मत मुकदमा

तहसीलदार काहेर

बनाम




अनसी देवी वी० बरनाराम

नं.

26/19

एव

दुल्हनी अधिका - पत्र धारा 136

तारीख हुकम	हुकम या कार्य वाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1-7-19	<p>तहसीलदार काहेर द्वारा पत्रांक --- दिनांक 1-7-19 के जरिये ग्राम समथल के ख. नं० 2331 के कर्मके एव दुल्हनी अधिका पत्र पेश किया जो की रजिस्ट्रार होकर पेशी तारीख 15-7-19 को वाहेर आदेश पेश है।</p> <p style="text-align: center;">                       सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)                      काहेर, जिला-जालोर (राज.)                 </p>	
15-7-19	<p>पत्रावली काज पेश की</p> <p>परिणाम तहसीलदार उपस्थित।</p> <p>उक्त प्रकरण के तहसीलदार काहेर द्वारा सुपुनर्वाचित पक्षकार संयोजित कर प्रकरण निम्नानुसार पेश की गयी है। उक्त प्रकरण का सुनियोजित होगा कि पेश करने हेतु काज को लिखा जावे। एवं उक्त प्रकरण के संदर्भ में जो जो आदेश प्राप्त किंवा भेजे हैं। उक्त प्रकरण का प्रथम सुनना होगा। उक्त तहसीलदार काहेर काज की संबंधित प्रकरण के संबंध में पक्षकार संयोजित कर तलवी हेतु काज की गोरिह पेश करे।</p> <p>पत्रावली दिनांक 30-7-19 का पेश है।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	<p>दिनांक 30 19-7-19</p>
30/7/19	<p>पत्रावली दिनांक 01/8/19 का</p> <p>पेश है।</p> <p style="text-align: center;">                       01/8/19                 </p>	

हुक्म या कार्य वाही मय इनिशियल्स जज

तारीख  
हुक्म

01/8/19

पत्रावली पेशदारी तहसीलदार आदि  
के प्रतिनिधि के रूप में नाम  
तहसीलदार श्री राजशंकर सिंह व सम्बंधित  
परवारी गुलाब खां ने पत्रावली की-  
संबंधित पत्रावली के संबंध में नए  
दिनांक प्रस्ताव सुनिश्चित पत्रावली  
गया व अपने पत्रावली संबंधित  
हुक्म क्र. 07/8/19 जारी  
पत्रावली दिनांक 07/8/19 की  
पत्रावली 01/8/19

पत्रावली 423  
1-8-19

7-01-19

पत्रावली का पत्रावली  
प्राथमिक तहसीलदार उपस्थित। वीरग  
जोर हाथों। संकोचने प्रस्ताव तहसील  
दार को हाथों हाथ नहीं मिलेगा कि  
श्रीमंत 530 प्रस्ताव को संकोचने के लिए  
किसी प्रकार के संकोच पत्रावली 16-9-19 का  
पत्रावली।

16-9-19

पत्रावली का पत्रावली  
प्राथमिक तहसीलदार उपस्थित।  
पत्रावली का संकोच किया गया। उपर्युक्त  
पत्रावली का संकोच पत्रावली के सुनिश्चित  
पत्रावली के संकोचने के लिए उपर्युक्त तहसीलदार  
को संकोचने के लिए निर्धारित उपर्युक्त  
निर्धारित प्राथमिक तहसीलदार पत्रावली का  
उपर्युक्त के निर्धारित प्राथमिक पत्रावली का  
विपक्ष-पक्ष के सुनिश्चित निर्धारित किया जावे।  
किसी निर्धारित प्राथमिक के प्राथमिक आधारित  
किसी प्रकार का संकोच करे। आदि तहसील  
पत्रावली के पत्रावली के लिए प्राथमिक प्रस्ताव संकोच  
गया है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)  
आहोर, जिला-जालोर (राज.)

